"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2017 — कार्तिक 6, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 9945/21–अ/स्थापना/छ.ग./17. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य विभाग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में –

1. अनुसूची–एक में, अनुक्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13.	लेखापाल	1	––तदैव––	––तदैव––
14.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9	––तदैव––	––तदैव––
15.	डाटा–एण्ट्री ऑपरेटर	1	––तदैव––	––तदैव––"

2. अनुसूची–दो में, अनुक्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"13.	लेखापाल	1	–	100%	
14.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9	100%	–	
15.	डाटा–एण्ट्री ऑपरेटर	1	100%	–"	

3. अनुसूची–तीन में, अनुक्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसीं मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीया डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
8.	डाटा–एण्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीया डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

4. अनुसूची–चार में, अनुक्रमांक 5 एवं 6 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"5.	सहायक ग्रेड–दो/लेखापाल	सहायक ग्रेड–एक	5 वर्ष	
6.	सहायक ग्रेड–तीन	सहायक ग्रेड–दो/लेखापाल (लेखापाल के पद के लिये, ऐसे सहायक ग्रेड–तीन, जो लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो)	5 वर्ष"	

No. 9945/XXI-A/Estt./C.G./17. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1983, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, after serial number 12 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13.	Accountant	1	--do--	--do--
14.	Computer Operator	9	--do--	--do--
15.	Data- Entry-Operator	1	--do--	--do—"

2. In Schedule-II, after serial number 12 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"13.	Accountant	1	---	100%	
14.	Computer Operator	9	100%	----	
15.	Data- Entry-Operator	1	100%	----"	

3. In Schedule-III, after serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	Computer Operator	18 years	30 years	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).
8.	Data- entry-Operator	18 years	30 years	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

4. In Schedule-IV, for serial number 5 and 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"5.	Assistant Grade-II/ Accountant	Assistant Grade-I	5 years	
6.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/Accountant (for the post of Accountant, Assistant Grade-III, who have passed Accounts Training Examination)	5 years"	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017